संख्या–1199 /I(2) /2017-05-34/2016

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

2 प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0
देहरादून।

3 प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 25 सितम्बर, 2017

विषयः– ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्ते की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्या–290/ XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या–291/XXVII(7)30(8)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या–266/ 45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या–267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या–165/XXVII(7) 30(7)/2017 दिनांक 12 सितम्बर, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त अधिसूचना संख्या–290, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में संलग्न वेतन मैट्रिक्स में प्रति स्थापित वेतन इस प्रतिबन्ध/शर्त के साथ अनुमन्य किया जाता है कि इस सम्बन्ध में होने वाला कोई भी परिवर्तन शासन की अनुमति से ही किया जायेगा।

3– उक्त निगमों में सातवां वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप अवशेष वेतन का भुगतान दिनांक 01.01.2017 से नगद देय होगा तथा दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2016 तक अवशेष वेतन भत्तों एवं एरियर के भुगतान हेतु पृथक से आदेश किये जायेंगे।

4– उक्त तीनों निगमों के कार्मिकों को पूर्व में अनुमन्य समयबद्व वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0एस0), वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–11/XXVII(7)30(14)/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से लागू होगी।

5– ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के सीधी भर्ती के पदों को फ्रीज करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती/चयन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि परियोजनाओं के संचालन हेतु कार्मिकों की आवश्यकता है एवं जिन पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है, ऐसे पदों पर भर्ती/चयन

क्रमशः पेज–2

हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए आवश्यक पदों पर ही भर्ती/चयन की कार्यवाही की जाय, जिन पदों पर आउटसोर्सिंग से कार्य लिया जा रहा है ऐसे कार्मिकों को निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार ही नियत मानदेय का भुगतान किया जाय। भविष्य में निगम के अधीन स्वीकृत पदों की परिधि में ही आउटसोर्स से कार्मिकों की तैनाती की जायेगी।

6– निगमों के कार्मिको को सातवां वेतनमान अनुमन्य किये जाने पर वित्तीय व्ययभार उक्त निगमों द्वारा अपने संसाधनो से वहन किया जायेगा तथा इस हेतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नही दी जायेगी और निगमों द्वारा मित्तव्ययता सुनिश्चित करते हुए संसाधनों में वृद्वि सुनिश्चित की जायेगी।

7– अधिसूचना संख्या–290 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित वेतनमानों से भिन्न ग्रेड पे के वेतनमानों का पुनरीक्षण निकटतम न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स में संरक्षित करते हुए किया जायेगा।

8– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या–243/XXVII(10)/2017 दिनांक 25 सितम्बर, 2017, द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीया,

(राधिका झा)
सचिव

संख्या– 1199 /I(2) /2017-05-34/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवालना, देहरादून।
8. समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव